

फा.स0 21034/37/2023-राभा(प्रशि)/

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

एन.डी.सी.सी.-11, जयसिंह रोड़,
नई दिल्ली-1, दिनांक 03.10.23

कार्यालय जापन

विषय:- केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना में अनुसूचित जाति/
अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग के नोडल अधिकारी को अनुमोदित
करने संबंधी ।

संदर्भ:- दिनांक 24 अगस्त, 2023 का पत्र सं.ए-45011/4/2023-केहिप्रसं/2187 ।

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान को उनके उपरोक्त पत्र के संदर्भ में सूचित किया
जाता है कि श्री अनिल कुमार, उप सचिव, राजभाषा विभाग को अगले आदेशों तक
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना में अनुसूचित जाति/
अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग के नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है ।

2. यह कार्यालय जापन सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा
रहा है ।

Avr
03/10/2023

(विभा पंत)

अवर सचिव (प्रशि.)

सेवा में,

निदेशक,
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान,
7वां तल, पर्यावरण भवन,
नई दिल्ली ।

रामेश्वर
9/10

स/प/350

श्री लक्ष्मी

गति 510-2023